

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 404 / 2024

अनवान : -

1. शफीक अहमद पुत्र कुरशेद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया त० टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्


1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष वादी श्री सुभाष गर्ग की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं० 1 एम. के. एस. बी के खाता सं० 106 / 102 में कुल 4.048 है० में वादी का 1/16 व 3/16 हिस्सा जिसमें वादी का नाम सफीक अहमद पुत्र खुरसैदमो. व सफीक मोहम्मद पुत्र खुरसैदमो० दर्ज है के स्थान पर वादी का सही नाम शफीक अहमद पुत्र कुरशेद मोहम्मद व चक न० 3 एम.के.एस के खाता सं० 64/55 में कुल 1.265 है० जिसमें वादी का नाम सदीक अहमद पुत्र कुरशेद मोहम्मद दर्ज है के स्थान पर वादी का सही नाम शफीक अहमद पुत्र कुरशेद मोहम्मद व चक नं० 1 एम. के. एस बी के खाता सं० 94/93 में कुल 2.530 है० जिसमें वादी का नाम शफीक अहमद पुत्र कुर्शेद के स्थान पर वादी का सही नाम शफीक अहमद पुत्र कुरशेद मोहम्मद नाम दर्ज किया जावें। यदि किसी सरकारी संस्था में वादी के पूर्व नाम सदीक अहमद से कोई बकाया अथवा कोई मुकदमा आदि जैरकार हो तो उसके लिए वादी का पूर्व नाम सदीक अहमद ही लागू होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...21/7/25... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़